UPKU010042912026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थित: **सत्यपाल सिंह प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP01829**
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1277/2026

संतोष यादव बउम्र 35 वर्ष पुत्र कोकिल यादव,
साकिन–पिपरिया, थाना–नेबुआ नौरंगिया, जनपद–कुशीनगर,

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विरूद्ध पक्ष

मु०अ०सं०–49/2026
धारा–3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम
थाना–जटहाँ बाजार,
जनपद–कुशीनगर।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **संतोष यादव** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2026 को वादी मुकदमा/उ०नि० अभिलाष कुमार झा मय हमराह के साथ रात्रि में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग करता हुआ कटाई भरपुरवा में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक महिन्द्रा सुपरो मैक्सी ट्रक पर 01 गाय व 01 बछिया को बध हेतु पिकप में बांधकर 03 व्यक्ति नेबुआ की ओर से कटाई भरपुरवा बंधे से होते हुये बिहार राज्य की ओर ले जा रहे है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके वह मय हमराह तथा मुखबिर को साथ लेकर कटाई भरपुरवा बंधे पर ठोकर नं०–3 के पास बने बैरियर पर पहुंचा जहां बैरियर ड्यूटी पर का० मनीष राय, रि०का० गुड्डू यादव, रि०का० रोमेश मौर्य मौजूद थे। जिनको मुखबीर की सूचना से अवगत कराते हुये आने जाने वाले सभी वाहनो की गहनता से से चेकिंग करने लगे कि कुछ देर बाद एक महिन्द्रा सुपरो मैक्सी ट्रक सफेद रंग की सामने से आती हुयी दिखाई दी, जिस पर लाल रंग से NN56 लिखा हुआ है के तरफ इशारा कर मुखबिर ने बताया कि साहब यही वह गाड़ी है जिसके बारे में मैने आपको बताया है और मुखबिर मौके से हट–बढ गया कि हम पुलिस बल द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर वाहन के चालक को रोकने का इशारा किया कि हम पुलिस बल को देखते ही उक्त महिन्द्रा सुपरो मैक्सी के चालक कुछ दूर पहले ही वाहन को रोक दिया और बैक करने का प्रयास करने लगा कि मौके पर हम पुलिस वालो द्वारा हिकमत अमली से गाडी की घेराबन्दी कर उक्त गाडी को रोक लिया गया और वाहन चालक के

अतिरिक्त आगे दो व्यक्ति बैठे मिले। उक्त पकडे गये व्यक्तियो को गाडी से उतारकर जामा तलाशी लेते हुए उसका नाम पता पूछा गया तो चालक सीट पर बैठे ब्यक्ति ने अपना नाम हरेन्द्र कुशवाहा बताया तथा जामा तलाशी से पहने हुए शर्ट की जेब से कुल 2400/– रू० व पैंट के बांयी जेब से आसमानी रंग के एंड्रायड फोन विवो बरामद हुआ। चालक के बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम संतोष यादव बताया जिसकी जामा तलाशी से पैन्ट की बांयी जेब से कुल 150 रूपये बरामद हुआ तथा दाहिने जेब से एक अदद एंड्रायड मोबाईल ITEL बरामद हुआ तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुनील शर्मा बताया जिसके जामा तलाशी से शर्ट के उपर के जेब से 100 रूपये व एड्रायंड फोन इनफिनिक्स सफेद कलर बरामद हुआ जो स्वीच आफ था। पकडे गये तीनो व्यक्तियो से कडाई से पूछताछ किया गया तो अपनी गलती की बार बार माफी मांगते हुए बताये कि साहब हम तीनो लोग मिलकर विभिन्न स्थानो से गोवंशीय पशुओं को खरीदकर इसी महिन्द्रा सुपरो मैक्सी ट्रक में लादकर बध हेतु बिहार राज्य में तस्करी कर अपना रोजी रोटी चलाते है। पुलिस बल द्वारा उक्त महिन्द्रा सुपरो मैक्सी ट्रक वाहन की गहनता से तलाशी ली गयी तो उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन सं० UP 57AT 1093 तथा चेसिस नं0 MA1FH2HLWH6J08642 व इंजन नं0 HLH6B13759 है उक्त रजि० नं० को ई–चालान एप के माध्यम से देखा गया तो उक्त वाहन का स्वामी हरेन्द्र कुशवाहा के नाम से पंजीकृत है। उक्त महिन्दा सुपरो मैक्सी ट्रक वाहन के डाले को खोलकर देखा गया तो 01 राशि गाय व 01 राशि बछिया को वाहन में रस्सी के सहारे बाँधकर रखा गया है जिससे गाय व बछिया तडप रही है जिसे हमराह की मदद से खोला गया तथा डाला में एक आसमानी रंग की प्लास्टिक के बोरे मे एक ठीहा व 01 अदद धारदार बांका जानवरों को काटने मे प्रयोग किये जाने वाला बरामद हुआ।

3– आवेदक/अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुये कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायाालय में न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। पुलिस की फर्द बरामदगी बिल्कुल झूठी व फर्जी है। प्रार्थी से कोई भी चीज बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी कथित वाहन का न चालक है और न ही वाहन का मालिक है। कथित वाहन में लदे पशु से भी प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी कथित घटना में सामिल नहीं था, गलत तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी वाहन स्वामी व अन्य को नहीं जानता है और न ही उक्त वाहन में लदे पशु से कोई वास्ता सरोकार है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अपने महिन्द्रा सुपरो मैक्सी ट्रक वाहन संख्या UP 57AT 1093 पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर गौवंशी पशुओं को बध हेतु बिहार ले जा रहा था। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त पर एक गोवंशीय पशु व एक बछड़ा को बध करने हेतु बिहार राज्य में ले जाकर बेचने का आरोप है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी होना नहीं

बताया गया है। सभी साक्षीगण पुलिस के कर्मचारीगण है। सह अभियुक्तगण हरेन्द्र कुशवााह व सुनीश शर्मा की जमानत इस न्यायालय से क्रमशः दिनांक 03.06.2026 व 04.06.2026 को हो चुकी है। प्रार्थी की भूमिका भी जमानत पर रिहा हुए सह अभियुक्तगण से भिन्न व गुरूत्तर नहीं बतायी गयी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 26.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व समानता के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी **संतोष यादव** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/प्रार्थी उपरोक्त द्वारा मु०–50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी मुचलका व इसी धनराशि के एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय :–

1– अभियुक्त अभियोजन के गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही अपने पक्ष में गवाही देने के लिए उत्प्रेरित या धमकी देगा।

2– अभियुक्त आरोप विरचन एवं धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त पुनः ऐसा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

दिनांकः 08.06.2026

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.08 16:27:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court